राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(An 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified Company)
(भारतसरकारकाउपक्रम–मिनीरत्न कम्पनी)
CINNo.U74899DL1963GOI003913
क्षेत्रीय कार्यालय : मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ
48–49, सेक्टर–बी, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
फोन : 0755-2580271, 2580319
ई–मेल: nscbhopalhr.gov.in@gmail.com, rm.bhopal@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(An ISO 9001:2008 & ISO14001:2004 Certified Company)
(A Govt. of India Undertaking - Miniratna Company)
CIN No. U74899DL1963GOI003913
Regional Office: Madhya Pradesh, & Chattisgarh
48-49, Sector-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023
Phone: 0755-2580271, 2580319
E-mail : nscbhopalhr.gov.in@gmail.com, rm.bhopal@indiaseeds.com

क्र–2(65) / मा.स. / एनएससी–भो / 2022–23 दिनॉक 16.07.2022

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के परिसर, कार्यालय व प्रशाधन आदि की साफ–सफाई के कार्य हेतु निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनॉक 06.08.2022 को 2:00PM तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें रूपये 118.00 (रू.100.00 टेण्टर की कीमत एवं रू.18.00 जी.एस.टी.) जमा करवाकर राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं व निविदा संबंधी सूचना निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से प्राप्त की जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
गोविन्दपुरा, भोपाल

विषयः सफाई कार्य हेतु निविदा के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भोपाल में निम्नलिखित स्थलों की सफाई के कार्य का ठेका निन्नलिखित दरों पर लेना चाहता हूँ :—

क्र.सं.	**कार्य स्थल**	**दर प्रति माह (रूपये में) समस्त कर सहित**
1.	क्षेत्रीय कार्यालय परिसर	रू. .... प्रति माह
2.	केन्दीय प्रयोगशाला	रू. .... प्रति माह
3.	क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय	रू. .... प्रति माह
4.	क्षेत्रीय / प्रक्षेत्र कार्यालय प्रशाधन	रू. .... प्रति माह

आप द्वारा दी गई शर्तें मुझे मंजूर हैं तथा मैं समझौता—पत्र रू.1000.00 (रू. एक हजार मात्र) के गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर पर कर दूँगा।

प्रार्थी,

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

पेन नं. : ....

आधार नं. ....

मो.नं. ....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के परिसर, कार्यालय व प्रशाधन आदि की साफ–सफाई के कार्य हेतु निविदा प्रति माह की दर से दिनॉक 06.08.2022 को 2:00PM बजे तक स्वीकार की जाएगी जो उसी दिन 3:00PM उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा के साथ रू.2000.00 धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भोपाल को देय हो साथ में संलग्न होना चाहिए।
2. सफाई कार्य हेतु व्यक्तियों का प्रबन्ध करने एवं समय पर काम करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उन व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। सफाई का कार्य प्रातः 8:00 बजे से प्रारम्भ करना होगा।
3. सफाई कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त सफाई कर्मचारी लगाने होंगे जो प्रातः 8:00 बजे कार्य प्रारम्भ करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिनकी रोजाना उपस्थिति लगाई जाएगी।
4. ठेकेदार को सही प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति अपराधिक/झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा होता है तो तुरन्त उस व्यक्ति को हटाना होगा एवं मारपीट जैसी हरकत के लिए सफाई ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
5. सफल ठेकेदार को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौत (Agreement) रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसमें सफाई कार्य के ठेके के नियम एवं शर्तें अंकित/छपी रहेगी।

6. असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. सफल ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि (धरोहर राशि) के रूप में समायोजित कर ली जाएगी जो कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. ठेकेदार को पिछले माह का बिल अगले माह में पंद्रह दिवस पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एस. सी., भोपाल में प्रस्तुत करना होगा जिस पर सफाई ठेकेदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

9. अगर सफाई ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होता है तो उसके लिए उचित राशि उसके बिल से काटी जाएगी। अगर ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो सफाई कार्य का ठेका किसी अन्य को दे दिया जाएगा उससे अगर फार्म को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसकी अमानत राशि एवं बकाया बिलों से की जाएगी।

10. उक्त ठेके की अवधि, कार्यादेश जारी करने की दिनॉक से 01 वर्ष की होगी एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उक्त ठेके की अवधि को अधिकतम 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

11. अगर किसी प्रकार का वैधानिक कर (टैक्स) संबंधित ठेकेदार के बिल पर लागू होता है तो उस पर उसकी कटौती संबंधित ठेकेदार के बिल से की जाएगी।

12. सफाई कार्य के लिए जो भी औजार, सामान इत्यादि प्रयोग में आता है वह ठेकेदार का होगा।

13. सफाई कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

14. टेण्डर के साथ पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

15. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं है।

16. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पाटियों पर बाध्यकारी होगी। इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक मुद्दे को हल करने के लिए एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियॉ कानून के न्यायालय में जाने से पहले वे मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

17. ठेकेदार द्वारा लगाया सफाई कर्मचारी अलग से किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के घर पर व्यक्तिगत काम नहीं करेगा यदि संबंधित कार्यालय द्वारा कोई सफाई कार्य या अन्य कार्य बताया जावे तो वो करना अनिवार्य होगा।

18. बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीए हुए व्यक्तियों को सफाई कार्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के क्षेत्र में लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

19. सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की स्वीकृति के बिना स्थानान्तरित नहीं कर सकता है।

20. किसी कारणवश सफाई ठेकेदार के बिल के भुगतान में देरी होने पर भी सफाई ठेकेदार को कार्य करवाना होगा।

21. सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी तथा सफाई ठेकेदार को उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों को भुगतान स्वयं ही करना होगा एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि क्षेत्रीय कार्यालय, रा.बी.नि., भोपाल द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है।